देवधारी साह बनाम हीरा साह

दिनांकः 04.03.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 22.01.2024 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि वादीगण दूर देहात के गंवई व्यक्ति है वाद पत्र को पढ़कर सुनने पर यह बात सामने आयी कि विवादित भूमि वाद पत्र के मद नं 2 वाली है लेकिन करपरदाज एवं टाइपिस्ट की भूल के कारण अर्जी नालिस के मद नं 3 मे वर्णित भूमि को विवादित होना दिखा दिया गया है। यह कि पूरी जमीन जो मद नं 2 में दर्ज है उस पर प्रतिवादी तथा वादी में विवाद रहता है ऐसी परिस्थिति में वाद की विविधता को रोकने के लिए वाद पत्र में संशोधन आवश्यक है । यह कि मामले में वाद पत्र का गठन नहीं हुआ है। इसलिए संशोधन आवेदन को मंजूर करने में दिक्कत कानूनी रूप से नहीं है अतः अर्जी नालिस के पैरा नं 2 के चौथे पंक्ति में पैरा नं 11 के दूसरे व चौथे पंक्ति, पैरा नं 9 के तीसरे पंक्ति , पैरा नं 10 के दूसरे पंक्ति , पैरा नं 12 के प्रथम पंक्ति एवं अनुतोष **क** के दूसरे पंक्ति तीसरे पंक्ति एवं अनुतोष **ख** के प्रथम पंक्ति अनुतोष **ग** प्रथम पंक्ति एवं मद नं 2 में दर्ज खेसरा 368 का पहले से दर्ज रकवा 0–10–10 को काट कर उसके जगह पर अंक 0–1–10 करने की कृपा करें।

प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की तरफ से अपने प्रतिउत्तर में वादी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वादीगण द्वारा जिन बयनात के आधार पर संशोधन चाहा गया है वह पूरी तरह से खारिज करने योग्य है इससे वाद का स्वरूप बदल जाएगा चूंकि प्रतिवादीगण ने अपना उत्तरपत्र न्यायालय में वाद पत्र में विवादित भू संपत्ति का विवरण मद नं 3 में जो दिया गया है उसके आधार पर दिया है लेकिन वाद पत्र के संशोधन होने के पश्चात वाद पत्र पूरी तरह से बदल जाएगा । यह कहना बिलकुल गलत है कि यह भूल करपरदाज एवं टंकन की गलती के कारण हुई है । प्रस्तावित मरम्मती के मंजूर होने से प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी । यह कि रकवा बढ़कर के कोर्ट फीस का खुलासा भी मरम्मती आवेदन में नहीं किया गया है अतः आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन और प्रतिवादी के प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा चाहा गया संशोधन देखने से यह प्रतीत होता है कि वादी पूरी तरह से पूर्व में निर्धारित विवादित भूमि को बदल देना चाहते हैं

देवधारी साह बनाम हीरा साह

चूंकि प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के मद नं 3 में वर्णित विवादित भूमि के आधार पर अपना जवाब दिया गया है। और विवादित भूमि को पूरी तरह से बदल देने से वाद की प्रकृति में स्पष्टया परिवर्तन हो जाएगा और प्रतिवादी को भी नये सिरे से लिखित कथन में संशोधन की जरूरत होगी। इससे तरह तरह की नयी विसंगतियां न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होगी । चूंकि प्रस्तुत आवेदन से वाद की प्रकृति में परिवर्तन होगा अतः न्यायालय वादी के दिनांक 22.01.2024 के संशोधन आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।